classmate
Date :
Page: 01

HISTORY

UG- PROGRAMME

BA- PART-II

PAPER-IV : History of Modern Asia (1839-2000)

UNIT- III : Rise and Growth of Nationalism in South East Asia.

(b) Burma.

" बर्मा में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास "

Scanned with CamScanner

बर्मा

classmate
Date :
Page: 02

गौरतलब है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में बर्मा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज यह देश **'म्यानमार'** कहलाता है। इसकी जनसंख्या सवा दो करोड़ है। बर्मा भारत और चीन के बीच अवस्थित एक ऐसा देश है जिस पर दोनों संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है। वैसे तो प्राचीन बर्मा के बारे में काफी कम जानकारी है। लेकिन कहा जाता है कि प्राचीन काल में **'तानिनश्वाति'** नामक राजा ने सबसे पहले एक राज्य के रूप में संगठित किया था।

बर्मा में सबसे पहले यानी 1057 ई० के आस-पास बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। उसके काफी समय बाद अरब के व्यापारी समुद्र किनारे स्थित बर्मी राज्य - आराकान आए। अरबी मुसलमान व्यापारियों के प्रभाव में आकर अनेक लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। आराकान के यहीं अरब मल्लाह बंगाल की खाड़ी को पार कर भारत के साथ व्यापार करते थे। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि एक शक्तिशाली राजा **'तूंगू'** ने आराकान राज्य सहित सम्पूर्ण बर्मा को जीत लिया। सत्रहवीं शताब्दी में तूंगू के पतन के बाद **'आवा राजवंश'** सत्ता में आया। इस राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा **'अलोम्प्रा'** था। बेहद महत्वाकांक्षी अलोम्प्रा ने जब सम्पूर्ण बर्मा पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद उसकी नजरें भारतीय क्षेत्रों की ओर टिक गईं। भारतीय क्षेत्रों पर साम्राज्यवादी दृष्टि के कारण ब्रिटिशों के साथ इसकी टक्कर हुई। उस समय बर्मा पर इसी आवा राजवंश का शासन था।

I आंग्ल-बर्मा के तीन युद्ध व बर्मा का भारतीय साम्राज्य में विलय :

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक बर्मा के राजा ने सम्पूर्ण बर्मा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बर्मा राज्य के उत्तर में चीन तथा पूरब में श्याम (वर्तमान में थाइलैंड नाम) था। श्याम से बर्मा की अनबन चलती रहती थी, सो श्याम की तरफ बर्मा का साम्राज्य विस्तार संभव नहीं था। ऐसे में स्वाभाविक रूप से बर्मी राजा ने भारत की ओर साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता सरकार भारत के देशी राज्यों के साथ उलझी थी। दूसरी बात यह थी कि कंपनी की पूर्वी सीमा-रेखा सुनिश्चित रूप से तय नहीं हो पायी थी। इस परिस्थिति में सबसे पहले पहल बर्मा राजा के तरफ से हुआ। 1813 ई० में उन्होंने मणिपुर को जीत लिया। कंपनी सरकार की चुप्पी से बर्मी राजा का मनोबल बढ़ा और 1822 में उन्होंने असम को जीत लिया। और-तो-और

Scanned with CamScanner

मानचित्र अध्ययन - बर्मा

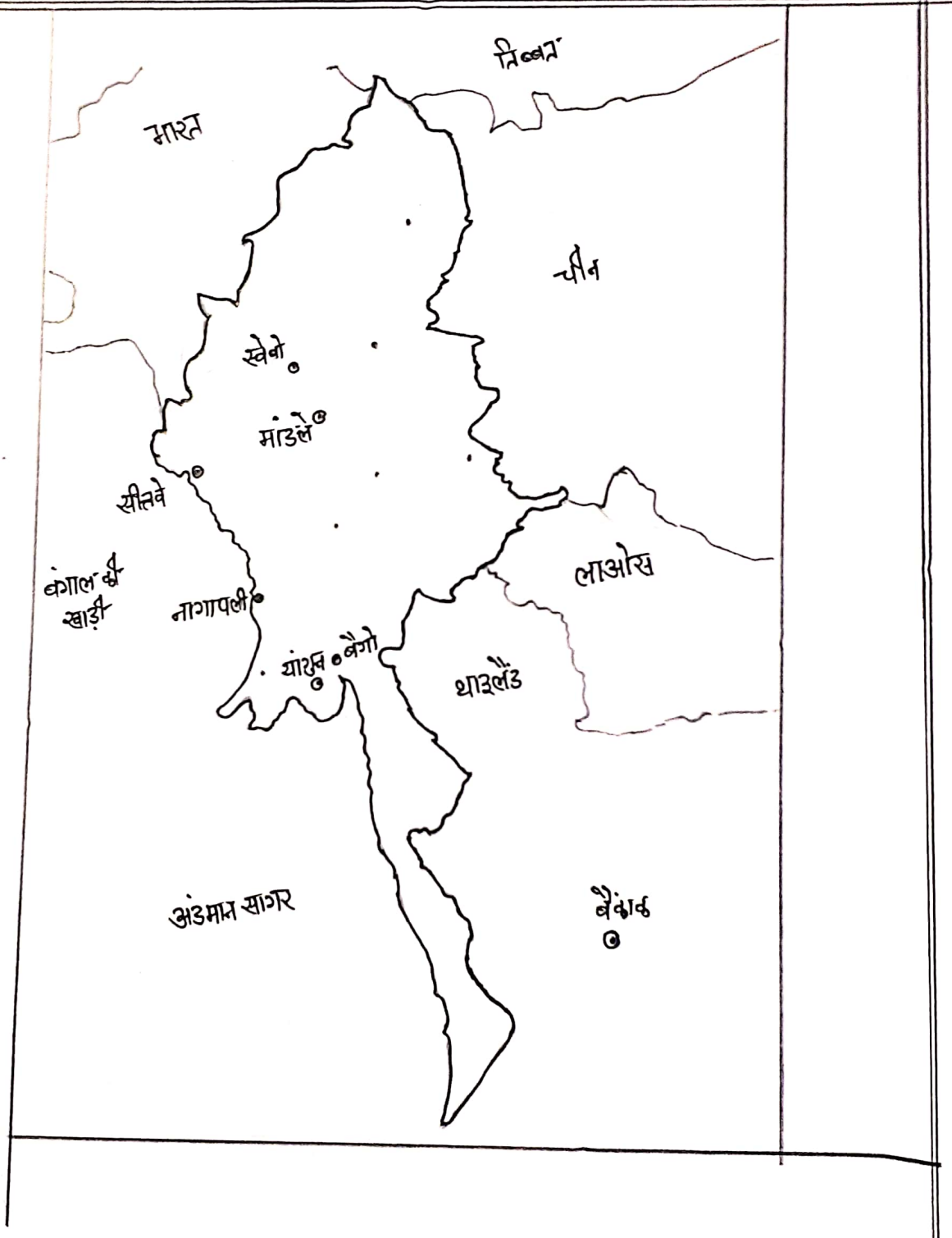

Scanned with CamScanner

अब बर्मी सेना बंगाल पर आक्रमण की तैयारियाँ करने लगी। अंग्रेजों के लिए बर्दाश्त करना अब बहुत कठिन था। अतः **24 फरवरी 1824** को गवर्नर जनरल लार्ड एमहर्स्ट ने युद्ध की घोषणा कर दी। दो साल तक चले इस कठिन युद्ध में अंततः बर्मा को पराजित कर दिया गया। लोअर बर्मा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। समय-धन और जन की दृष्टि से अंग्रेजों के लिए यह युद्ध काफी मँहगा पड़ा। इस युद्ध के फलस्वरूप "**यांदबू की संधि**" हुई। जिसमें बर्मा राजा ने एक करोड़ रुपये युद्ध क्षति-पूर्ति के साथ-साथ अराकान और तनासरीम पर अपना अधिकार छोड़ दिया।

अंग्रेजों का बर्मा के साथ दूसरा युद्ध तब शुरू हुआ, जब नये बर्मी राजा '**थारावादी**' ने यांदबू की संधि मानने से साफ इनकार कर दिया। इस दूसरे युद्ध में गवर्नर जनरल डलहौजी खुद रंगून गया। निचले बर्मा स्थित पेगु पर अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार अब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कन्या कुमारी से लेकर मलय प्रायद्वीप तक-बंगाल की खाड़ी के सम्पूर्ण समुद्र तट पर हो गया।

आंग्ल-बर्मा का तीसरा युद्ध भी बर्मा राजा के करतूत के कारण उपस्थित हुआ। पहली करतूत यह थी कि बर्मा राजा थीबो ने अपने परिवार से जुड़े 80 राजकुमार और राजकुमारियों की हत्या करवा दी। इससे ब्रिटिश भारतीय सरकार काफी चिंतित हो उठी। दूसरी करतूत बर्मा राजा की यह थी कि उसने अंग्रेजों के सबसे कट्टर शत्रु फ्रांसीसियों से मेल-जोल बढ़ा ली थी। यह बात ब्रिटिश भारत सरकार को नागवार गुजरा और जल्द ही युद्ध की घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश सेना रंगून से माँडले पहुँच गई तथा बर्मा राजा ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। वायसराय लार्ड डफरिन ने 01 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की। इस प्रकार तृतीय आँग्ल-बर्मा युद्ध के बाद बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया।

II बर्मा में राष्ट्रवाद का उदय :

गौरतलब है कि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन जाने के बाद भारत के भाग्य के साथ ही बर्मा का भाग्य जुड़ गया। बर्मा में ब्रिटिशों की आधुनिक शासन-व्यवस्था व अन्य आर्थिक प्रगति से बर्मा के लोगों का भी मन-मिजाज बदला। अब धीरे-धीरे बर्मा के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। इसी क्रम में 1922 में केन्द्रीय बर्मा सरकार को एक नया संविधान मिला जिसमें एक विधानपरिषद की व्यवस्था थी। परंतु बर्मा के लोगों ने इस संविधान का विरोध किया। क्योंकि यह दोहरे शासन-

Scanned with CamScanner

प्रणाली पर आधारित थी। बर्मा के लोगों का विरोध इस कदर प्रबल था कि परिषद के निर्वाचित सदस्य मंत्री पद तक नहीं स्वीकार करते थे। इसी बीच 1929 ई. की गठित साइमन-आयोग ने बर्मा को भारत से अलग कर देने की सिफारिश की। इसी समय बर्मा में एक राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। इस आंदोलन से **'दोबामा'** (**हम बर्मी**) नामक दल का प्रादुर्भाव हुआ। गौरतलब है कि 1935 के भारतीय संविधान की तरह बर्मा में भी एक नया संविधान लाया गया। इसमें काफी हद तक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गुंजाइश थी। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरु हुआ, उस समय तक बर्मा में एक उत्तरदायी सरकार काम कर रही थी।

III द्वितीय विश्वयुद्ध एवं उसके बाद बर्मा को स्वतंत्रता :

द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने दक्षिण-पूर्व एशिया में तहलका मचा दिया। मात्र पाँच महीने के अंदर ही जापानी सेना ने बर्मा का फतह कर लिया। विजयी जापानी सेना का दोबामा दल के लोगों ने स्वागत किया। लेकिन बर्मा में नये-नये उभरे साम्यवादी दल के लोग जापान की उपस्थिति का सख्त विरोध कर रहे थे। जापानियों ने चालाकी से **डॉ. बा मो** के नेतृत्व में बर्मा में कठपुतली सरकार गठित कर दी। जल्द ही इस कठपुतली सरकार की पोल खुल गई और अधिकांश बर्मी जनता इसके विरुद्ध हो गई। इसी बीच **'जनरल आंगसांग'** के नेतृत्व में **'एण्टी फासिस्ट पीपुल्स फ्रीडम लीग'** (फासिस्ट विरोधी जन-स्वातंत्र्य-सभा) का गठन हुआ। आंगसांग एवं लीग की मांग थी कि बर्मा में विशुद्ध बर्मी सरकार की स्थापना हो। उल्लेखनीय तथ्य है कि बर्मा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लीग ने एक सेना खड़ी की। इसी बीच 1945 में मित्रराष्ट्रों की सेना का एक बार फिर से बर्मा पर अधिकार स्थापित हुआ। जापानी हार कर बाहर हो गए।

ब्रिटेन फिर से बर्मा को उसी धर्रे पर लाना चाहा, जहाँ वह द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले था। लेकिन अब तक बर्मा की अंदरूनी स्थिति काफी बदल गई थी। बर्मा में ब्रिटेन की कारगुजारी का हिंसात्मक विरोध हुआ। ब्रिटेन समझ गया कि अब बर्मा पर शासन करना असंभव है। बर्मा पर शासन-संचालन हेतु एक ग्यारह सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ, जिसके उपाध्यक्ष जनरल आंगसांग को बनाया गया। इसी बीच 20 दिसम्बर 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि बर्मा को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा यथासंभव तेजी और सुविधाजनक ढंग से दिया जायेगा। इसके अगले वर्ष जनवरी 1947 में बर्मा के राजनीतिक भविष्य को लेकर लंदन में सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें आंगसांग के नेतृत्व में एक बर्मी प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ।

Scanned with CamScanner

लंदन सम्मेलन में यह तय हुआ कि बर्मा का शासन-प्रशासन करने के लिए एक संविधान परिषद का निर्वाचन किया जाए। साम्यवादियों के विरोध के बावजूद जनरल आंगसांग इस मसले पर आगे बढ़े तथा फरवरी 1947 में ही एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। यह सर्वदलीय सम्मेलन **'पेंगलोंग सम्मेलन'** के नाम से प्रसिद्ध है।

गौरतलब है कि अप्रैल 1947 में बर्मा की संविधान परिषद के लिए चुनाव हुआ तथा सितम्बर 1947 तक बर्मा के लिए एक नया संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी बीच बर्मा के राजनीतिक इतिहास में एक दुखद घटना घटी। घटना यह थी कि 19 जुलाई 1947 को जनरल आंगसांग की हत्या कर दी गई। इस राजनीतिक हत्या से बर्मा की जनता स्तब्ध रह गई। इससे एक अनुभवी और योग्य नेता से देश वंचित हो गया। पीपुल्स लीग ने इस कठिन परिस्थिति का साहस के साथ सामना किया। आंगसांग के बाद ऊ नू ने लीग का नेतृत्व तथा प्रधानमंत्री पद संभाल लिया। इसी बीच 17 अक्टूबर 1947 ब्रिटेन ने बर्मा के नवीन संविधान को मान्यता दे दी। जनवरी 1948 में बर्मा में यह संविधान लागू हो गया और बर्मा एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. आधुनिक भारत का इतिहास - सं० आर. एल. शुक्ल
2. एशिया का आधुनिक इतिहास - दीनानाथ वर्मा
3. समकालीन विश्व का इतिहास - अर्जुन देव, इंदिरा अर्जुन देव
4. आधुनिक एशिया का इतिहास - घनपति पाण्डेय
5. आधुनिक एशिया - कॉलेश्वर राय

Dr. Dayanand Mehta
Assistant professor
(Deptt. of History)
Samastipur College, Samastipur.
L. N. M. U. Darbhanga.
email: dayanandmehta@gmail.com
Mob : 9470200031
7250160031

Scanned with CamScanner